न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीए
प्रकरण संख्या–47/2018

1. बलराम उर्फ रिछपाल वल्द पतराम कौम बिश्नाई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. आशासिंह वल्द किशनसिंह कौम जटसिख निवासी कुलवन्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार वल्द दलीपराम कौम जाट साकिन ढाणी चक 7 सीडीआर सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुभाष वल्द खेताराम कौम बिश्नाई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :–

प्रार्थी बलराम उर्फ रिछपाल ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चकान0 7 एफटीपी पटवार हल्का कुलवन्द के प0न0 213/246 मु0 35 किलान0 17,18,19,20, प0न0 212/246 मु0 36 किलान0 16/2/.126 है0 कुल 1.1380 है0 नहरी भूमि दर्ज फागजात मालं है।

प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है तथा प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए तथा अपनी आराजी को काश्त करने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर दिशा की ओर पत्थर लाईन 245 पर तथा प0न0 213/245 मु0 18 किलान0 5,6,15,16,25 में स्वीकृत शुदा चालू रास्ता है जिसके जरिये प्रार्थी प0न0 213/246 के किला नम्बर 5,6,15,16 में से होकर अपनी आराजी में आवागमन करता चला आ रहा था लेकिन अप्रार्थी सुभाष ने अपनी आराजी के किलान0 15,16 में रास्ता कुछ समय पूर्व बन्द कर दिया जबकि किलान0 5,6 में आज भी मौका पर रास्ता चालू है। अप्रार्थी सुभाष के द्वारा रास्ता बन्द कर देने की वजह से प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन नही कर सकता, इसलिए प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। चक 7 एफटीपी के प0न0 213/246 मु0 35 किलान0 5,6 प्रत्येक के पूर्वी हिस्सा मे 10 फुट चौड़ा व 165 लम्बा (यानि प्रत्येक में .015 है0) किलान0 15 के उत्तरी व पश्चिमी हिस्सा मे 10 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा (यानि .030 है0) तथा किलान0 16 के उत्तरी–पश्चिमी हिस्सा के कोना में .004 है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व टिब्बी से उक्त रास्ता की रिपोर्ट चाही गई।तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को रिपोर्ट फर्द मौका सहित किये जाने के आदेश दिये गये जिस पर तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि चकान0 7 एफटीपी के प0न0 213/246 मु0 35 किलान0 5,6 में सहमति से घरेलू रास्ता सुभाष पुत्र खेताराम जाती बिश्नोई निवासी 7 एफटीपी में ढाणी मे आने जाने हेतू रास्ता चालू है प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

किलानं0 16 में ढाणी बनी हुई है व किलानं0 15 के उतरी दिशा में पशुओ का बाड़ा बना हुआ है तथा पश्चिमी दिशा में फसल काश्त है। चकनं0 7 एफटीपी के प0न0 211/246 के किलानं0 5,6,15,16,25 में मंजूरशुदा रास्ता से प0न0 212/246 मु0 36 किलानं0 21 ता 25 के दक्षिणी दिशा से आना जाना करना बताया गया। किलानं0 15 में पक्की ढाणी बनी हुई है जिसे तुड़वाया जाना संभव नही है उतरी दिशा मे पशुओ का बाड़ा बना है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी को अपनी कृर्षि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी कृर्षि भूमि प0न0 211/246 के किलानं0 5,6,15,16,25 में मन्जूर शुदा रास्ता से प0न0 212/246 मु0 36 के किलानं0 21 ता 25 के दक्षिणी दिशा से आ जा रहा है व रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ने जानबुझ कर गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि प्रार्थी को प0न0 212/246 मु0 36 किलानं0 21 ता 25 के दक्षिणी दिशा से आना जाना है और इसी रास्ता से आसानी रहती है। प्रार्थी द्वारा जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वहॉ पर मुझ अप्रार्थी सं0 3 की कृर्षि भूमि प0न0 213/246 मु0 35 किलानं0 15 में ढाणी बनी हुई है व उतरी दिशा मे पशुओ का बाड़ा बना हुआ है। पक्की ढाणी को तुड़वाया जाना सम्भव नही है। प्रार्थी प0न0 212/246 मु0 36 किलानं0 21 ता 25 के पक्षकारो को संयाजित करते हुए रास्ता स्वीकृत करवा सकता है व इसी रास्ता यानि 212/246 मु0 36 के किलानं0 21 ता 25 के दक्षिणी दिशा से होकर अपनी कृर्षि भूमि में आ जा रहा है। प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण मुझ अप्रार्थी की कृर्षि भूमि में चाहा जाने वाला रास्ता का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। मुझ अप्रार्थी सं0 3 की कृर्षि भूमि में रास्ता स्वीकृत होने से पक्की ढाणी को तोड़ना पड़ेगा जिससे मुझ अप्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया,बहस सुनकर समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता मन्जूर करने बाबत निवेदन किया गया जबाब मे वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र रंजिशवंश प्रस्तुत करना बताया तथा कृर्षि भूमि को दो टूकड़ों में विभक्त होने बाबत निवेदन कर प्रार्थनापत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि चक 7 एफटीपी के प0न0 213/246 मु0 35 किलानं0 5,6 प्रत्येक के पूर्वी हिस्सा में 10 फुट चौड़ा व 165 लम्बा (यानि प्रत्येक में .015 है0) किलानं0 15 के उतरी व पश्चिमी हिस्सा में 10 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा (यानि .030 है0) तथा किला नं0 16 के उतरी–पश्चिमी हिस्सा के कोना में .004 है0 रास्ता मन्जूर करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत किया गया है जो कि चार बीघा लम्बा है और चाहे जाने वाला रास्ता सीधा न होकर घुमावदार रास्ता की मॉग की गई है। किलानं0 15 में पूर्व से पश्चिम व उतर से दक्षिण एक ही बीघा में दो जगह से रास्ता की मॉग की गई है इस तरह से कृषि भूमि दो टुकड़ों में विभक्त हो रही है व किलानं0 15 में अप्रार्थी की ढाणी व उतरी दिशा में पशुओं का बाड़ा भी बना हुआ है अगर किलानं0 15 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो ढाणी को तुड़वाना पड़ेगा व अप्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी होगा तथा प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता सीधा एंव नजदीक भी नही लगता। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार टिब्बी के प्रार्थी को चक 7 एफटीपी के प0न0 212/246 मु0 36 के किलानं0 21 ता 25 में से रास्ता सीधा एंव नजदीक भी लगता है, तहसीलदार राजस्व टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट के क्रमांक संख्या 2 में भी स्पष्ट अंकित किया है कि प0न0 212/246 मु0 36 किलानं0 21 ता 25 में से भी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा आना जाना बताया गया व इसी रास्ता से आसानी रहती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए की मूल मन्शा यह है कि काश्तकार को अपनी भूमि में जाने के लिए निकटतम एंव सुविधाजनक रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जबकि प्रार्थी की मॉग घुमावदार रास्ते की मॉग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि न्योचित नही है। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में लेकर नही आया है। प्रार्थना पत्र मे चाहे जाने वाला रास्ता घुमावदार व एक ही बीघा में दो बार रास्ता की मांग किये जाने व असुविधाजनक होने के कारण व चाहे जाने वाला रास्ता में अप्रार्थी का मकान बना होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक.....11/10/19...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner